

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
28.10.2021

मिसल नम्बर
67/2020/प्रा.पत्र/2020

तारीख दायरा
21.09.2020

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1-श्री चिरंजी लाल जैन पुत्र स्व० श्री भूरा लाल एफ.बी.औ मैसर्स चिरंजी लाल पदम चन्द जैन
बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज० निवासी वार्ड नं० 04 मेन मार्केट लावा
जिला टोंक राज०

2-मैसर्स चिरंजी लाल पदम चन्द जैन बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज०
..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा०सु०अ० स्वयं।


2-श्री तेजमल जैन,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 28.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 01.08.2020 को समय 11.02 ए.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स चिरंजी लाल पदम चन्द
जैन बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज० पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से
श्री चिरंजी लाल जैन पुत्र स्व० श्री भूरा लाल एफ.बी.औ मैसर्स चिरंजी लाल पदम चन्द जैन
बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज० निवासी वार्ड नं० 04 मेन मार्केट लावा
जिला टोंक राज०खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया
एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना
स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे
रिफाइन्ड सोयाबीन तेल खुला(Refined Soyabean Oil Loose) रखा हुआ था, का
निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री चिरंजी लाल जैन को गवाह के
सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की
जिस पर विक्रेता चिरंजी लाल जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर
तरदीक किया।


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा दुकान में एक स्टील केन 5 लीटर क्षमता वाली में 2.00 किलोग्राम रिफाइन्ड सोयाबीन तेल खुला(Refined Soyabean Oil Loose) रखे हुये में से 1600 ग्राम इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चार साफ व सूखी प्लास्टिक बोतलो में 400-400 ग्राम तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री चिरंजी लाल जैन को रू0 160/-अक्षरे एक सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।


आवेदक द्वारा खरीदशुदा रिफाइन्ड सोयाबीन तेल खुला(Refined Soyabean Oil Loose) 1600 ग्राम इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चार साफ व सूखी प्लास्टिक बोतलो में 400-400 ग्राम तुलवाकर नियमानुसार भरकर प्रत्येक शिशी के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2551 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2551 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता चिरंजी लाल जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोक़ा फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/2809 दिनांक 21.08.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1082/एक्ट/2020/1120 दिनांक 13.08.2020 अनुसार चिरंजी लाल जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया रिफाइन्ड सोयाबीन तेल खुला(Refined Soyabean Oil Loose) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा अनुसार विनियम नं. 2.3.15 (1)(b) के अनुसार कान्द्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कान्द्रावेन (Contravene) स्तर का रिफाइन्ड सोयाबीन तेल खुला(Refined Soyabean Oil Loose) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)



(v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस रिफाइन्ड सोयाबीन तेल खुला (Refined Soyabean Oil Loose) का विक्रय कर रहा था वह जांच में कान्द्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया रिफाइन्ड सोयाबीन तेल खुला (Refined Soyabean Oil Loose) का नमूना जांच में कान्द्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) (v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री चिरंजी लाल जैन पुत्र स्व० श्री भूरा लाल एफ.बी.औ मैसर्स चिरंजी लाल पदम चन्द जैन बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज० निवासी वार्ड नं० 04 मेन मार्केट लावा जिला टोंक राज० पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू०) आरोपित की जाती है अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(मुससे लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक राज०